I, Hitesh Bagai, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated: 03.03.2018

Hitesh Bagai
Publisher

सेन्ट बैंक होम फायनेंस लिमिटेड — Cent Bank Home Finance Limited (Subsidiary of Central Bank of India)

शाखा: एफ-104, प्रथम तल, संगम टॉवर, चर्च रोड, जयपुर
फोन: 0141-2363226, 2360013

अचल सम्पत्ति के लिए कब्जे का नोटिस

यतः "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति–हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002," की धारा 13(2) के अधीन सेन्ट बैंक होम फायनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने मांग नोटिस दिनांक 29.07.2017 को जारी करते हुए ऋणी/जमानतदार (1) अमित कुमार शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा (2) श्रीमती सीमा शर्मा पत्नी श्री अमित कुमार शर्मा पता– फ्लैट नं. एस–2, द्वितीय मंजिल, प्लॉट नं.–2, सनराईज सिटी, ग्राम–निवारू, तहसील, जयपुर, जिला जयपुर को रूपये **16,04,437/-** (अक्षरे रूपये सोलह लाख चार हजार चार सौ सैंतीस मात्र) दिनांक 10.07.2017 तक एवं इसके पश्चात के ब्याज व खर्च अतिरिक्त का भुगतान, नोटिस की दिनांक से 60 दिनों के भीतर, करने की मांग की थी। ऋणी द्वारा सम्पूर्ण राशि के भुगतान करने में असफल होने पर, ऋणी/आमजन को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त एक्ट की धारा 13(4) व नियम 8(1) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अधीन, अधोहस्ताक्षरी ने आज दिनांक 05.03.2018 को निम्नलिखित सम्पत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है एवं आमजन को सावधान किया जाता है, कि इस सम्पत्ति बाबत कोई व्यवहार नहीं करें और किये गए व्यवहार पर सेन्ट बैंक होम फायनेंस लिमिटेड के रूपये **18,72,068/-** (अक्षरे रूपये अठारह लाख बहत्तर हजार अड़सठ मात्र) दिनांक 05.03.18 तक एवं इसके पश्चात के ब्याज व खर्च अतिरिक्त की राशि का भार होगा। आपका ध्यान उक्त अधिनियम 2002 की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार यदि बैंक द्वारा किये सभी लागतों, व्यवहारों और खर्चों के साथ इसके बकायों को विक्रय सूचना के प्रकाशन की तिथि के पहले बैंक को चुकाया जाता है तो प्रतिभूत आस्ति को ऋण मुक्त करा सकते है। सूचित हो विक्रय सूचना के प्रकाशन के पश्चात प्रतिभूत आस्ति को ऋण मुक्त कराने का अधिकार नहीं रहेगा।

बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. एस-2, द्वितीय मंजिल, प्लॉट नं. 2, सनराईज सिटी, ग्राम-निवारू, तहसील-जयपुर, जिला-जयपुर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 700 वर्गफीट है। चतुः सीमा- उत्तर- प्लॉट नं. 3, दक्षिण- प्लॉट नं. 1, पूर्व- प्लॉट नं. 11, पश्चिम- रोड़ 100 फीट।

स्थान: जयपुर, दिनांक 05.03.2018

प्राधिकृत अधिकारी,
सेन्ट बैंक होम फायनेंस लिमिटेड

SBI — RACPC-II, 1st Floor, B-10/134, Janki Marg, Chitrakoot, Jaipur-302021. Ph.: 0141-2441135, 2441136, E-Mail: sbi.17389@sbi.co.in

अचल सम्पत्ति के लिए कब्जे का नोटिस

यतः "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति–हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002," की धारा 13(2) के अधीन भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने मांग नोटिस दिनांक 23.11.2017 को जारी करते हुए ऋणी संजय कुमार सोनी पुत्र श्री अर्जुन सोनी, पता–242, शिव नगर, मैन चौराहा, जयसिंहपुरा, जयपुर–302027 को बकाया राशि रूपये 8,30,591/- (अक्षरे रूपये आठ लाख तीस हजार पांच सौ इकरान्वे मात्र) दिनांक 29.06.2017 तक एवं इसके पश्चात के ब्याज व खर्च अतिरिक्त के भुगतान, नोटिस की दिनांक से 60 दिनों के भीतर, करने की मांग की थी। ऋणी द्वारा सम्पूर्ण राशि के भुगतान करने में असफल होने पर, ऋणी/आमजन को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त एक्ट की धारा 13(4) व नियम 8(1) के अधीन, अधोहस्ताक्षरी ने आज दिनांक **06.03.18** को निम्नलिखित सम्पत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है एवं आमजन को सावधान किया जाता है, कि इस सम्पत्ति बाबत कोई व्यवहार नहीं करें और किये गए व्यवहार पर भारतीय स्टेट बैंक के रूपये **9,02,911/-** (अक्षरे रूपये नौ लाख दो हजार नौ सौ ग्यारह मात्र) दिनांक 05.03.18 तक एवं इसके पश्चात के ब्याज व खर्च अतिरिक्त की राशि का भार होगा। आपका ध्यान उक्त अधिनियम 2002 की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार यदि बैंक द्वारा किये सभी लागतों, व्यवहारों और खर्चों के साथ उसके बकायों को विक्रय सूचना के प्रकाशन की तिथि के पहले बैंक को चुकाया जाता है तो प्रतिभूत आस्ति को ऋण मुक्त करा सकते है। सूचित हो विक्रय सूचना के प्रकाशन के पश्चात प्रतिभूत आस्ति को ऋण मुक्त कराने का अधिकार नहीं रहेगा।

बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण

संपत्ति प्लॉट नं. 53, श्याम वाटिका-प्रथम, ग्राम-मोहब्बतपुरा, तहसील-फागी, जिला-जयपुर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 125 वर्गगज है जो कि संजय कुमार सोनी पुत्र श्री अर्जुन सोनी के नाम से है। चतुः सीमा- पूर्व- सड़क, पश्चिम- पार्क, उत्तर- प्लॉट नं. 52, दक्षिण- प्लॉट नं. 54

स्थान: जयपुर, दिनांक 06.03.2018

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

For The Attention of The Creditors of Anil Special Steel Industries Limited

RELEVANT PARTICULARS		
1.	Name of Corporate Debtor	Anil Special Steel Industries Limited
2.	Date of Incorporation of Corporate Debtor	04/05/1968
3.	Authority under which Corporate Debtor is Incorporated / Registered	Registrar of companies under Companies Act, 1956
4.	Corporate Identity Number/ Limited Liability Identification Number of Corporate Debtor	L27107RJ1968PLC001245
5.	Address of the Registered office and Principal office (if Any) of Corporate Debtor	P. O. Meenawala, Kanakpara, Jaipur Rajasthan-302012
6.	Insolvency Commencement Date in Respect of Corporate Debtor	7th March, 2018 (C.P. No. (IB)- 35 (ND)/ 2018)
7.	Estimated Date of Closure of Insolvency Resolution Process	2nd September, 2018
8.	Name, Address, Email Address and the Registration Number of the Interim Resolution Professional	Name: Brij Kishore Sharma Interim Resolution Professional Address: AB-162, Vivekanand Marg, Nirman Nagar, Ajmer Road, Jaipur-302019 Registration Number: IBBI/IPA-002/IP-N00036/2016-17/10075 Email: bksharma162@yahoo.co.in
9.	Last Date for Submission of Claims	21st March, 2018

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process against the ANIL SPECIAL STEEL INDUSTRIES LIMITED on **7th March, 2018**.

The creditors of ANIL SPECIAL STEEL INDUSTRIES LIMITED, are hereby called upon to submit a proof of their claims on or before **21st March, 2018** to the interim resolution professional at the address mentioned against item 8.

The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other creditors may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means.

The submission of proof of claims is to be made in accordance with Chapter IV of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016; The Proof of claims is to be submitted by way of the following specified forms

FORM B - Claims by operational creditors
FORM C- Claims by financial creditors
FORM D- Claims by workmen and employees.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Sd/-
Brij Kishore Sharma
Interim Resolution Professional

Date : March 09, 2018
Place : Jaipur, Rajasthan